न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण Gems No 2022/139
दायरा तिथि : 07.04.2022
आदेश तिथि 21/02/2025
प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थी :–

मदाराम पुत्र खमाराम जाति मेगवंशी निवासी बोया तहसील बाली

–:: आदेश ::– दिनांक : 21/02/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम बोया स्थित भूमि खसरा नंबर 1062/3 रकबा 3.720 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के शराब बेचने की दुकान प्रयोजन अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामील होने के बावजुद अप्रार्थी न्यायालय द्वारा नियत पेशियों पर आदिनांक तक न्यायालय मे वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया स्थित भूमि खसरा नंबर 1062/3 रकबा 3.720 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के शराब बेचने की दुकान लगाई है तथा मौके पर अकृषि प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थीका उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति मे हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या

(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया स्थित भूमि खसरा नंबर 1062/3 रकबा 3.720 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि कृषि भूमि है। परन्तु पटवारी हल्का, बोया की मौका फर्द दिनांक 02.02.2022 के अनुसार वर्णित भूमि में से मौके पर खातेदार द्वारा 0.01 हैक्टेर भूमि (17 फीट×15 फीट) में शराब बेचने की दुकान बना ली है तथा भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजन उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के संबंध मे खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण GCMS No 2022/139

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम पदाराम

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया स्थित भूमि खसरा नंबर 1062/3 रकबा 3.720 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे पटवारी हल्का, बोया की मौका फर्द दिनांक 02.02.2022 के अनुसार प्रस्तुत नजरी नक्शा में मौके पर खातेदार द्वारा 0.01 हैक्टेर भूमि (17 फीट×15 फीट) जिसमें शराब बेचने के लिये दुकान बनाई है, को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह मे इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बोया को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री दि[illegible]श बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखंण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

निर्णय आज दिनांक 21/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन,
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

मौका फर्द -

आज दिनांक 2/2/22 को मौजा ग्राम बोया के खसरान 1062/3 रकबा - 0.3150 किस्म - बा.अ. का मौका मुआयना किया गया। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि खातेदारी कृषि भूमि है, मौके पर खातेदारों द्वारा उक्त भूमि में से रकबा - 0.01 हैक्टर कृषि भूमि का उपयोग - शराब बेचने के लिए दुकान बनाकर कृषि भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर पढ़कर सुनाई गई तथा उपस्थित मौतबिरानो के हस्ताक्षर करवाये गये।

नजरी नक्शा।

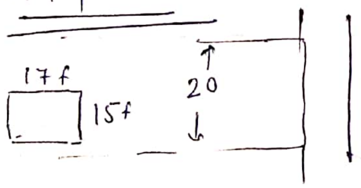

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

[signature] 02/02/22
प. बोया

खातेदार - पदाराम s/o खंगारजी

दिलीप परमार

विक्रम [signature]

[signature]

Ex court

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner